"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 393] रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 अगस्त 2013—भाद्र 9, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-2/2003/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 और 335 सहपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. (1) नियम 9 के उप-नियम (एक) में, शब्द एवं अंक "अनुसूची-III एवं VI" के स्थान पर शब्द एवं अंक "अनुसूची-III" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) नियम 9 के उप-नियम (पांच) को विलोपित किया जाये.

(3) अनुसूची-I में, शीर्षक "अनुसूचित जातियों की बैकलॉग रिक्तियों के लिए रोस्टर" के स्थान पर, शीर्षक "अनुसूचित जातियों की बैकलॉग रिक्तियों के लिए रोस्टर पंजी" प्रतिस्थापित किया जाये.

(4) अनुसूची-II में, शीर्षक "अनुसूचित जनजातियों की बैकलॉग रिक्तियों के लिए रोस्टर" के स्थान पर, शीर्षक "अनुसूचित जनजातियों की बैकलॉग रिक्तियों के लिए रोस्टर पंजी" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. यह संशोधन, दिनांक 26 नवंबर, 2012 से, भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 4-2/2003/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/2003/1/3 दिनांक 31 अगस्त, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Naya Raipur, the 31st August 2013

NOTIFICATION

No. F 4-2/2003/1-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read which article 16 and 335 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Services (promotion) Rules, 2003 namely :—

AMENDMENT

In the said Rules,—

1. (1) In sub-rule (I) of rule 9, for the words and figures "schedule-iii and iv" the words and figures "Schedule-III" shall be substituted.

(2) sub-rule (V) of rule 9 shall be omitted.

(3) In Schedule-I for the heading "Roster of Backlog Vacancy for Schedule Caste", the heading "Roster Register of Backlog Vacancy for Scheduled Caste" shall be substituted.

(4) In Schedule-II for the heading "Roster of Backlog Vacancy for Schedule Tribes", the heading "Roster Register of Backlog Vacancy for Scheduled Tribes" shall be substituted.

2. This amendment shall deemed to have come in to force which the retrospective effect from the date of 26th November, 2012.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.